न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी–श्री त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस

राजस्व वाद–पत्र संख्या : 317 / 2012
वाद दायरी दिनांक : 27 / 07 / 2012
निर्णय दिनांक : 25/07/2018

1. श्रीमती सोनी धर्मपत्नी रामदेव
2. श्रीमती गंगादेवी धर्मपत्नी कानाराम
3. श्रीमती श्रवणी धर्मपत्नी सुरजकरण

समस्त जातियान गुर्जर निवासीगण हरसौली, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

–– वादीगण

बनाम

1. सुवा पुत्र लखमा, जाति गुर्जर निवासी हरसौली, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।
2. गोपाल पुत्र भूरा, जाति गुर्जर निवासी हरसौली, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।
3. सुरज्ञान पुत्री भूरा, पत्नी हरिराम, जाति गुर्जर निवासी हरसौली, तहसील दूदू, जिला जयपुर, हाल निवासी नागल, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर, राज0।
4. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा हरसौली, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।
5. तहसीलदार मौजमाबाद, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

–– प्रतिवादीगण

वाद तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955)

उपस्थिति – **श्री राजेन्द्र सिंह खंगारोत**
विद्वान अधिवक्ता वादीगण

श्री सुरेंद्र शर्मा
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 4

प्रतिवादी संख्या 1 ल. 3 के विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी।

उपखण्ड अधिकारी दूदू

प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

Scanned by CamScanner

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि उपर्युक्त उनवानी प्रकरण इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12/06/2015 को प्रकरण प्राथमिक डिक्री किया गया जिसमें यह निर्णय किया गया कि वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम हरसौली, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर के आराजी खसरा नम्बर 2118 रकबा 2.2800 हैक्टेयर भूमि में वादीया 8/18 हिस्से की, प्रतिवादी संख्या 1 हिस्सा 1/18 का, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 हिस्सा 1/2 का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार घोषित कर वाद–पत्र के साथ संलग्न पीले रंग से दर्शित आराजी पर वादीया एवं नीले रंग से दर्शित आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 व लाल रंग से दर्शित आराजी जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 काबिज है, के वर्तमान में काबिज काश्त अनुसार भूमि का बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर तकासमा किया जाकर खाता अलहदा–अलहदा किया जाता हैं तथा तहसीलदार दूदू को नक्शे कुरेजात दो प्रतियों में तैयार कर भिजवाने हेतु लिखा गया था।

तहसीलदार मौजमाबाद के पत्र क्रमांक/भू.अ./2016/1865 दिनांक 13/06/2016 के द्वारा नक्शे कुरेजात प्राप्त होने के पश्चात शामिल पत्रावली किये गये।

अधिवक्ता वादी ने उपस्थित होकर नक्शे कुरेजात का अवलोकन कर सही होना जाहिर किया।

अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार दूदू से प्राप्त नक्शे कुरेजात के अनुसार वाद यदि अन्तिम रूप से डिक्री कर दिया जाता है, तो अधिवक्ता वादी को कोई आपत्ति नहीं हैं।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार दूदू से प्राप्त नक्शे कुरेजात का गहनता से अवलोकन किया। नक्शे कुरेजात मुताबिक आदेश के अनुसार तैयार होकर प्राप्त हुये हैं। अधिवक्ता वादी ने भी मुताबिक तहसीलदार दूदू के नक्शे कुरेजात अनुसार वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया है, ऐसी स्थिति में उपर्युक्त विवेचन से मुताबिक नक्शे कुरेजात अनुसार वाद अन्तिम डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी दूदू

अतः वादी का वाद मुताबिक नक्शे कुरेजात अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम हरसौली, तहसील दूदू का पक्षकारान के मध्य

Scanned by CamScanner

मुताबिक नक्शे कुरेजात बंटवारा किया जाकर खाता अलहदा–अलहदा निम्न प्रकार किया जाता है :–

क्र.स.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा है.में
1.	सुवा पुत्र लखमा हि.13/127, गोपाल पुत्र भूरा, सुरज्ञान पुत्री भूरा हि.114/127 जाति गुर्जर सा. देह खातेदार।	2118 मि.	1.27
		कुल किता 01	कुल रकबा 1.27 हैक्टेयर
2.	गंगादेवी पत्नी कानाराम जाति गुर्जर सा0 देह	2118	0.25
		कुल किता 01	कुल रकबा 0.25 हैक्टेयर
3.	श्रवणीदेवी पत्नी सुरजकरण, जाति गुर्जर सा0 देह	2118 मि.	0.51
		कुल किता 01	कुल रकबा 0.51 हैक्टेयर
4.	सोनीदेवी धर्मपत्नी रामदेव जाति गुर्जर सा0 देह	2118 मि.	0.25
		कुल किता 1	कुल रकबा 0.25 हैक्टेयर

पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 25/3/2015 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
दूदू (जयपुर)
उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर-3 फोन : 31..

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

अन्तिम डिक्री

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दूदू

व इजलास श्री त्रिलोक चन्द मीना (R.A.S) मुकाम

1. श्रीमति सोनी w/o रामदेव
2. श्रीमति गंगादेवी w/o कानाराम
3. श्रीमति श्रवणी w/o सूरजकरण गुर्जर नि० हरसोली

बनाम 1. सुवा पुत्र लखमा गुर्जर 2. गोपाल पुत्र भूरा गुर्जर 3. सुरज्ञान पुत्री भूरा w/o हरिराम गुर्जर 4. शाखा प्रबंधक P.N.B. हरसोली, 5. तहसीलदार दूदू

दावा बाबत तकासमा का प्रा० निवि०

मुकदमा नं. 317/2012 सन

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत एड०

व हाजिरी मिनजानिब मुदई रूबरू श्री सुरेन्द्र शर्मा एड०

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

अतः वादी का वाद मुताबिक नक्शे कुरैजात अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम हरसोली तह० दूदू का प्रस्ताव के मध्य मुताबिक नक्शे कुरैजात बंटवारा किया जाकर खाता अलहदा-अलहदा निम्न प्रकार किया जावे:-

1. नाम खातेदार सुवा पुत्र लखमा हि. 13/127, गोपाल पुत्र भूरा, सुरज्ञान पुत्री भूरा हि. 114/127 जाति गुर्जर नि. देह खातेदार ख.न. 2118 मि. रकबा 1.27 हैक्टेयर।

2. नाम खातेदार गंगादेवी पत्नी कानाराम जाति गुर्जर नि० देह ख.न. 2118 रकबा 0.25 हैक्टेयर। 3. नाम खातेदार श्रवणीदेवी पत्नि सूरजकरण जाति गुर्जर नि०देह ख

निज मुबलिग बाबत

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25 माह 07 सन 2018 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत

ओहदा उपखण्ड अधिकारी दूदू

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट - इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी दूदू

Scanned by CamScanner

-ये- खसरा नम्बर 2118 कि॰ रकबा 0.51 हैक्टेयर।

4. नाम खातेदार सोनीदेवी धर्मपत्नी रामदेव जाति गुर्जर सा॰ देह खसरा नम्बर 2118 कि॰ रकबा 0.25 हैक्टेयर।

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

उपखण्ड अधिकारी दूदू जयपुर